

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शाहपुरा

प्रकरण संख्या 03/2023 खाद्य सुरक्षा

उनयान प्रकरण

सरकार जरिये मनीष कुमार शर्मा,
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, भीलवाडा

बनाम मैसर्स मून्दड़ा मिष्ठान भण्डार
प्रो० राजेन्द्र मून्दड़ा पुत्र रामगोपाल मून्दड़ा
दीनदयाल धर्मशाला के निचे,
तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा

— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं
दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी उपस्थित

आदेश

दिनांक 17.05.2024

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप प्रेम चन्द शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी मैसर्स मून्दड़ा मिष्ठान भण्डार, प्रो० राजेन्द्र मून्दड़ा पुत्र रामगोपाल मून्दड़ा निवासी दीनदयाल धर्मशाला के निचे, त० शाहपुरा जिला शाहपुरा पर निरीक्षण करने पर पाया कि विपक्षी प्रो० राजेन्द्र मून्दड़ा पुत्र रामगोपाल मून्दड़ा विक्रेता की हैसियत से खाद्य पदार्थ खोआ बरफी, गुलाब जामुन, लड्डू आदि आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुये थे। मौके पर विक्रेता से खाद्य लाइसेन्स/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जो मौके पर दिखाया गया। उक्त फर्म का गवाहान श्री गोपाल शर्मा की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि फर्म पर खोआ बरफी विक्रय हेतु रखे हुये थे। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। खोआ बरफी का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाइसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने वाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.03.2023 को समय 01.30 पी.एम. पर बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग प्रो० राजेन्द्र मून्दड़ा पुत्र रामगोपाल मून्दड़ा निवासी दीनदयाल धर्मशाला के निचे, त० शाहपुरा जिला शाहपुरा उक्त फर्म में विक्रेता की हैसियत से खोआ बरफी आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु कब्जे में रखे हुये थे।

आत. जिला कलक्टर
शाहपुरा

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में विक्रेता को 800/-रु. नगद देकर खोआ बरफी को जांच हेतु खरीदा एवं रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने चार लेवल तैयार किये गये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एक्स- 1564 नाम, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेवल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./228/ एक्ट/2023/257 दिनांक 20.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, खोआ बरफी निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टैण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने वावत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी प्रो० राजेन्द्र मून्दड़ा पुत्र रामगोपाल मून्दड़ा निवासी दीनदयाल धमशाला के निचे, त० शाहपुरा जिला शाहपुरा द्वारा सबस्टैण्डर्ड खोआ बरफी का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, शाहपुरा को प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 26.10.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 28.11.2023 को न्यायालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित नहीं। विपक्षी उपस्थित है।

प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने खोआ बरफी में B.R. Reading of extracted fat at 46.09 प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 40.00 से 44.00 प्रतिशत के मध्य में होना चाहिए तथा Reichert Value of extracted fat 11.30 प्रतिशत पाया गया जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 24 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खोआ का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध अधिकतम जुर्माना आरोपित की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना ली गई फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस का समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना ली गई फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./228/एक्ट/2023/257 दिनांक 20.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, खोआ निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टैण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया।

अतः जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने खोआ बरफी में B.R. Reading of extracted fat at 46.09 प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 40.00 से 44.00 प्रतिशत के मध्य में होना चाहिए तथा Reichert Value of extracted fat 11.30 प्रतिशत पाया गया जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 24 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खोआ बरफी विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी मैसर्स मून्दड़ा मिष्ठान भण्डार, प्रो० राजेन्द्र मून्दड़ा पुत्र रामगोपाल मून्दड़ा निवासी दीनदयाल धर्मशाला के निचे, त० शाहपुरा जिला शाहपुरा सबस्टैण्डर्ड खोआ बरफी का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खोआ बरफी का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरुवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी को भविष्य में खाद्य मानको का विशेष ध्यान रखने की चेतावनी देते हुये विपक्षी पर 10,000/-रुपये शास्ति आरोपित की जाती है, विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनील पूनियाँ)

(सुनील पूनियाँ)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 01 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाहपुरा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- 02 मैसर्स मून्दड़ा मिष्ठान भण्डार, प्रो० राजेन्द्र मून्दड़ा पुत्र रामगोपाल मून्दड़ा निवासी दीनदयाल धर्मशाला के निचे, त० शाहपुरा जिला शाहपुरा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय शाहपुरा में प्रस्तुत करे ।

(सुनील पूनियाँ)

(सुनील पूनियाँ)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा